



## 118244 - बिना वुजू वाले व्यक्ति और मासिक धर्म वाली महिला का मुसहफ़ के कवर और तफ़सीर की किताबों को छूना

### प्रश्न

कुरआन की ऐसी प्रतियाँ होती हैं जो मोटे कपड़े के कवर से ढकी होती हैं। क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उन्हें पकड़ना जायज़ है जो पवित्रता की स्थिति में नहीं है? इसी तरह पन्ने पलटने के लिए पन्नों के किनारों को पकड़ने का क्या हुक्म है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें पकड़ना जायज़ ठहराया है.. हम तफ़सीर (कुरआन की व्याख्या) की किताबों के बारे में कब कह सकते हैं कि वे तफ़सीर हैं जिन्हें मासिक धर्म वाली महिला पढ़ सकती है, तथा हम उनके बारे में कब कह सकते हैं कि वे मुसहफ़ के हुक्म के अंतर्गत आती है और मासिक धर्म वाली महिला के लिए उन्हें छूना जायज़ नहीं है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

अधिकांश फ़ुक़हा के मत के अनुसार, जो व्यक्ति नापाकी की हालत में है, उसके लिए बिना किसी ओट के कुरआन को छूना जायज़ नहीं है; क्योंकि अम्र बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पत्र में वर्णित है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यमन के लोगों को लिखा था, जिसमें कहा गया है: "कुरआन को केवल वही व्यक्ति छुए जो पवित्रता की स्थिति में है।" इसे मालिक (हदीस संख्या : 468), इब्ने हिब्बान (हदीस संख्या : 793) और बैहकी (1/87) ने रिवायत किया है।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने कहा: "उर्युक्त पत्र वाली हदीस को इमामों के एक समूह ने प्रामाणिक माना है, इसके इस्नाद (कथावाचकों की शृंखला) के संदर्भ में नहीं, बल्कि इसकी प्रसिद्धि के संदर्भ में। इमाम शाफ़ेई रहिमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "अर-रिसाला" में कहा: "उन्होंने इस हदीस को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि यह साबित नहीं हो गया कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पत्र है। इब्ने अब्दुल-बरर रहिमहुल्लाह ने कहा: यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवनीकारों के बीच एक प्रसिद्ध पत्र है, इसके अंदर जो कुछ ज्ञान है वह विद्वानों को अच्छी तरह से पता है; यह इतना प्रसिद्ध है कि इस्नाद (संचरण की शृंखला) की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक मुतवातिर रिवायत (जिसे इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों से रिवायत किया हो कि यह अकल्पनीय है कि वे झूठ पर सहमत हो सकते हैं) की तरह है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं।" अत-तल्खीस अल-हबीर (4/17) से



उद्धरण समाप्त हुआ।

इस हदीस को शैख अलबानी रहिमहुल्लाह ने इरवाउल-ग़लील (1/158) में सहीह कहा है।

दूसरा :

कुरआन (मुसहफ़) का वह कवर जो उससे जुड़ा होता है [यानी, किसी चिपकने वाले पदार्थ या सिलाई... आदि के द्वारा कुरआन से जुड़ा होता है] वह कुरआन ही के हुक्म के अंतर्गत आता है। इसलिए वुजू के बिना उसे छूना जायज़ नहीं है। यही बात पन्नों के किनारों पर भी लागू होती है।

“अल-मौसूआ अल-फ़िक्हिय्यह” (38/7) में कहा गया है : “हनफ़िय्या, मालिकिय्या, शाफ़ेइय्या और हनाबिला के अधिकांश फ़ुक्हहा का मत यह है कि जो व्यक्ति पवित्रता की स्थिति में नहीं है, उसके लिए कुरआन पर बंधी हुई जिल्द, कुरआन के उन पन्नों के हाशिये जिन पर कोई लिखावट नहीं है, और पंक्तियों के बीच की सफेदी (खाली जगह), ऐसे ही उसमें मौजूद खाली पन्ने जिन पर कुछ भी लिखा नहीं है, को छूना जायज़ नहीं है ; ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उस पन्ने के अधीन हैं जिसपर कुरआन लिखा गया है और उसके हरीम हैं और किसी चीज़ का हरीम उसके अधीन होता है और उसी का हुक्म ग्रहण करता है। (यानी उसी के हुक्म के अंतर्गत आते हैं)।

कुछ हनफ़िय्या और शाफ़ेइय्या का विचार है कि ऐसा करना जायज़ है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

जहाँ तक उस कवर की बात है जो कुरआन से अलग होता है, जो कि एक थैला होता है जिसमें कुरआन रखा जाता है और उससे निकाला जाता है, तो पवित्रता के बिना उसे छूने में कोई हर्ज नहीं है, भले ही कुरआन उसके अंदर हो।

कुरआन को उससे अलग किसी आवरण (आड़) से छूना जायज़ है, जैसे कि वह थैला जिसमें उसे रखा जाता है और दस्ताना वगैरह।

“क़शाफ़ अल-क्विना” (1/135) में कहा गया है : “जो व्यक्ति नापाकी की हालत में है, वह कुरआन को उसके जुज़दान और उसके कवर यानी उसके थैले में रखकर उसे छुए बिना ले जा सकता है, क्योंकि निषेध का उल्लेख उसे छूने के संबंध में किया गया है। और उसे ले जाना उसे छूना नहीं है। तथा वह अपनी आस्तीन के किनारे या किसी छड़ी और इसी तरह की चीज़, जैसे कपड़े या लकड़ी के टुकड़े से उसके पन्नों को पलट सकता है ; क्योंकि तब वह उसे छू नहीं रहा है। तथा उसके लिए उसे यानी कुरआन को किसी अवरोध (आड़) के पीछे से छूना अनुमेय है, जैसाकि ऊपर कहा गया है।” कुछ संशोधन के साथ उद्धरण समाप्त हुआ।

तीसरा :



अधिकांश फुक़हा के अनुसार, जो व्यक्ति नापाकी की हालत में है - चाहे वह छोटी नापाकी हो या बड़ी - उसके लिए तफ़सीर (कुरआन की व्याख्या) की किताबों को छूना जायज़ है। हालाँकि कुछ लोग इसे उन किताबों तक सीमित रखते हैं जिनमें तफ़सीर (व्याख्या) की मात्रा कुरआन की तुलना में अधिक है। जबकि उनमें से कुछ ने इस शर्त को निर्धारित नहीं किया है।

“अल-मौसूआ अल-फ़िक्हिय्या” (13/97) में कहा गया है : “अधिकांश फुक़हा के निकट, जो व्यक्ति नापाकी की हालत में है, उसके लिए तफ़सीर की किताबों को छूना जायज़ है, भले ही उनमें कुरआन की आयतें हों, तथा उन्हें ले जाना और उन्हें पढ़ना जायज़ है, भले ही वह जुनुबी (वीर्य स्राव के कारण बड़ी नापाकी की स्थिति में) हो। उन्होंने कहा : ऐसा इसलिए है क्योंकि तफ़सीर का उद्देश्य कुरआन के अर्थ सीखना है, उसकी तिलावत नहीं करना है। इसलिए उसपर कुरआन के नियम लागू नहीं होते।

शाफेइय्या ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अनुमति इस शर्त के अधीन है कि तफ़सीर (की मात्रा) कुरआन से अधिक हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुरआन का आदर-सम्मान प्रभावित नहीं होता है, और यह कुरआन की तरह नहीं है। हनफ़िय्या ने इस बारे में मतभेद किया है और उन्होंने तफ़सीर की किताबों को छूने के लिए वुजू को अनिवार्य कर दिया है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा : “जहाँ तक तफ़सीर की किताबों का सवाल है, तो उन्हें छूना जायज़ है, क्योंकि उन्हें तफ़सीर माना जाता है और उनमें जो आयतें होती हैं वे उससे कम होती हैं जो उसमें तफ़सीर होती है।

इसके लिए इस तथ्य को प्रमाण बनाया जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने काफ़िरों को पत्र लिखे, जिनमें कुरआन की आयतें थीं। इससे पता चला कि हुक्म सबसे प्रबल और सबसे अधिक का होता है।

लेकिन, अगर तफ़सीर और कुरआन की मात्रा बराबर है, तो जब अनुमेय करने वाला और निषेध करने वाला कारण एकत्र हो जाए, और उनमें से किसी को प्रधानता देना स्पष्ट न हो, तो इस मामले में निषेध के पक्ष को प्रबल करते हुए उसे कुरआन का हुक्म दिया जाएगा।

यदि तफ़सीर अधिक है, चाहे थोड़ी ही (अधिक है), तो उसे तफ़सीर का हुक्म दिया जाएगा।” “अश-शर्ह अल-मुमते” (1/267) से उद्धरण समाप्त हुआ।

“फ़तावा अल-लजना अद-दाईमा” (4/136) में कहा गया है : “कुरआन के अर्थों का अरबी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना जायज़ है, जिस तरह कि अरबी भाषा में उसके अर्थों की व्याख्या करना जायज़ है। और इसको उस अर्थ की व्याख्या माना जाएगा जिसे अनुवादक ने कुरआन से समझा है, इसे कुरआन नहीं कहा जाएगा।”



इसके आधार पर, किसी व्यक्ति के लिए बिना वुजू के अरबी के अलावा किसी दूसरी भाषा में कुरआन के अर्थों के अनुवाद तथा अरबी भाषा में उसकी तफ़सीर को छूना जायज़ है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।